न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 15/2019

1. ओमप्रकाश पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– प्रार्थी

बनाम्

1. सांवरमल पुत्र केहरसिंह जाति जाट साकिन रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत रतनपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध निर्णय प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर दिनांक 18.11.2015 अपील संख्या 26/2013 अनवानी सावंरमल बनाम ओमप्रकाश आदि

उपस्थितिः– श्री हवासिंह पुनियां अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री रविन्द्र गोदरा अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय दिनांक : **10.09.2021**

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :–

1. निगरानी कृत निर्णय दिनांक 18.11.2015 विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने की वजह से निरस्त योग्य है।
2. अप्रार्थी न. 1 अपीलांट ने एक अपील प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर में इस आशय की पेश की थी कि गांव रतनपुरा में अपीलांट के पिता का पुराना कब्जा सुदा लगभग 50 गुणा 40 फुट क्षेत्र का भूखण्ड है जिसके पश्चिम में मकान महावीर पूर्व में मकान चेतराम दक्षिण में गली आम व मकान भादरराम उत्तर में गवाड़ है। उक्त भूखण्ड पर अपीलांट का परिवार गोबर, थेपड़ी, ईंधन डालने व पशु बांधने के काम लेता आ रहा है। वर्ष 1984 में उसके पिता द्वारा उक्त भूखण्ड पर गोबर गैंस प्लांट लगाकर उक्त भूखण्ड का उपयोग उपभोग करता आया है व दिनाक 24.10.2011 को उसके पिता का देहांत होने पर अपीलांट उक्त भूखण्ड को उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। वर्ष 1997 में रेस्पोडेंट न0 1 ओमप्रकाश विवादित भूखण्ड से गौबर गैस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्लांट व लकड़िया हटाने को कहा और भूखण्ड पर जबरन कब्जा चाहा तो अपीलांट के पिता केहरसिंह ने सिविल कोर्ट में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जो दिनांक 22.05.2013 को खारिज हो गया उक्त निर्णय के खिलाफ एडीजे कोर्ट नोहर में अपील पेश की जो खारिज हो गई तब ओमप्रकाश ने अपने पक्ष में भूखण्ड का पटटा होना बताया व भूखण्ड खाली करने की धमकी दी तब विधि विरूद्ध पटटा की जानकारी हुई तब विधि विरूद्ध पटटा को खारिज करवाने का निवेदन किया ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर मातहत अदालत ने प्रार्थी रेस्पोडेंट को विधिवत रूप से सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही विधिवत रूप से तामील करवाई गई सिर्फ साजीसाना कार्यवाही कर एक तरफा निर्णय पारित किया है। कानूनी स्थिति के मुताबिक प्रभावित पक्षकार को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक हैं जबकी मातहत अदालत ने ऐसा कुछ भी नही किया उसके बावजूद भी प्रशासन कमेटी ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

4. प्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.06.1977 को पटटा जारी किया हुआ है। जिसे लगातार उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। उक्त भूखण्ड में केहरसिंह ने गौबर गैस प्लांट लगाया था जिसे प्रार्थी ने तुरन्त हटवा दिया एवं उसकी क्षतिपूर्ति भी कर दी गई एवं केहरसिंह ने उक्त भूखण्ड की बाबत सिविल कोर्ट नोहर में वाद 95/2000 पेश किया जो दिनांक 26.11.2001 को खारीज हो गया जिसके विरूद्ध अपील पेश की जो दिनांक 22.05.2013 को खारीज हो गई एवं उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पेश की जो खारिज हो गई उसके बाद मातहत अदालत में अपील पेश की है जो मियाद बाहर एवं गुणावगुण पर भी किसी प्रकार से चलने योग्य नही थी उसके बावजूद भी एकतरफा निर्णय बिना विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर दिये प्रशासन कमेटी ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

5. मातहत अदालत ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि अपीलाधीन पट्टा पर तत्कालीन सरपंच सुलतानराम हस्ताक्षर का एफएसएल से मिलान करने पर सुलतानराम के हस्ताक्षर फर्जी पाये गयें इसलिए ऐसा पटटा वैध नहीं माना जा सकता जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 29.09.2003 की है एवं पटटा पर हस्ताक्षर 27.06.1977 के है इतने लम्बे समय के बाद हस्ताक्षर में भिन्नता आना स्वभाविक है जो कि पटटा निरस्त करने का आधार किसी भी प्रकार से नहीं माना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

नहीं माना जा सकता इसलिए प्रशासन कमेटी ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

6. पंचायत के किसी निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने की मियाद 30 दिन है जबकि यह अपील 36 साल बाद अपील पेश की गई थी जो मियाद बाहर पेश की गई है एवं सन् 2000 से विवादित भूखण्ड के बाबत सिविल कोर्ट में वाद जैरकार है। विवादित पट्टे का अपीलांट अप्रार्थी को ज्ञान था उसके बावजूद भी 2013 में अपील पेश की है जो किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं थी। जिसका अपीलांट को बखूबी ज्ञान था तथा पंचायत समिति द्वारा अपने पारित इस निर्णय में मियाद के बिन्दु पर कोई आदेश नहीं दिया है। इसलिए अपील मियाद बाहर है जो काबिल खारिजी के है तथा अपील ग्राम पंचायत के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि निर्णय तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है जिसके आधार पर पट्टा जारी किया जाता है जो की कागज पटटा इसलिए पटटा के खिलाफ कोई अपील पेश नहीं कि जा सकती है। इसलिए पंचायत समिति का फैसला काबिल खारीजी के है।

7. अप्रार्थी जिनके द्वारा पंचायत समिति में यह अपील पेश की गई है किसी भी प्रकार से पीड़ित पक्षकार नहीं है। प्रार्थी के पट्टे से इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। प्रशासन एवं स्थापना समिति का निर्णय कानून सम्मत नहीं है सिर्फ राजनैतिक पार्टी वाजी की वजह से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

8. मातहत अदालत ने प्रार्थी रेस्पोडेंट को विधिवत रूप से सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही विधिवत रूप से तामील करवाई गई सिर्फ साजीसाना कार्यवाही कर एक तरफा निर्णय पारित किया है। अप्रार्थी स. 1 ने ऐलानिया कहा की हमने आपके नाम का पटटा निरस्त करवा दिया है अब भूखण्ड पर कब्जा करेगें तब मातहत अदालत में आकर निर्णय की जानकारी प्राप्त की तो बताया की आपके प्लॉट का निर्णय 18.11.2015 को किया जा चुका है जिसमें पटटा खारीज किया गया है। जानकारी होत ही निगरानी पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद है।

लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार कर निर्णय दिनांक 18.11.2015 निरस्त करने के आदेश फरमावें।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थी अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि यह निगरानी प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर के निर्णय (अपील 26/2013) दिनांक 18.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलार्थी सांवरमल ने अपील में बताया कि वह व उनका परिवार विवादित भूखण्ड पर सन् 1984 से काबिज है। सिविल कोर्ट में ओमप्रकाश द्वारा जवाब दावा पेश करने पर विवादित पट्टे की जानकारी हुई।

इस संबंध में निवेदन किया कि केहरसिंह ने विवादित भूखण्ड के संबंध में सिविल कोर्ट में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जो दिनांक 22.05.2013 को खारिज हो गया, उक्त निर्णय के खिलाफ ए.डी.जे. कोर्ट नोहर में अपील की, वो भी खारिज हो गई, उसने प्रार्थी का पट्टा खारिज करने हेतु अपील पंचायत समिति में पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर निर्णय पारित नहीं किया, विधिवत् सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। पट्टे पर सरपंच के हस्ताक्षर सन् 1977 के है, एफएसएल रिपोर्ट दिनांक 29.09.2003 की है। 26 साल की समय अवधि में हस्ताक्षरों में भिन्नता आ सकती है। अपील में हस्ताक्षर के बिन्दु को आधार माना था। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति में अपील पंचायत के निर्णय के 30 दिन की अवधि में की जानी चाहिए थी जो कि 26 साल बाद पेश हुई है। प्रार्थी एवं अपीलार्थी के पिता केहरसिंह के बीच सन् 2000 से 2013 तक सिविल न्यायालय में मुकदमें चले। सन् 2013 में प्रार्थी को पट्टे की जानकारी होना बता रहे है। सरपंच का बेटा स्वयं के नाम से पट्टा बनवा सकता है। ग्राम मलवानी पूर्व में ग्राम पंचायत रतनपुरा के अधीन ही आता था। इसलिए ग्राम पंचायत का निवासी ग्राम पंचायत के किसी भी ग्राम में पट्टा बनवा सकता है। पीड़ित पक्षकार ही अपील पेश कर सकता है, ये पीड़ित पक्षकार नहीं है। अपील में प्रार्थी को सुनवाई का मौका नही दिया। प्रार्थी के उपस्थिति में मौका नहीं देखा गया। अपील पत्रावली में कोई प्रोसीडिंग नही लिखी गई। निर्णय की जानकारी होने पर समयावधि में निगरानी पेश की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी प्रश्नगत पट्टे के भूखंड पर गोबर गैस प्लांट होना स्वीकार कर रहे है। अप्रार्थी (अपीलार्थी) सालों साल से काबिज है। पट्टाधारक ओमप्रकाश ग्राम पंचायत सरपंच सुलतानाराम का सगा बेटा है। ग्राम मलवानी का निवासी है। लेकिन फर्जी हस्ताक्षर कर पट्टा ग्राम रतनपुरा में स्थित भूखंड का बनवा लिया। पट्टे संबंधी रिकार्ड पूर्ण नहीं है। सरपंच के हस्ताक्षर भी असली नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है जो कि एफएसएल की रिपोर्ट दिनांक 29.09.2003 से साबित है। एफएसएल रिपोर्ट को प्रार्थी सक्षम न्यायालय में Challenge कर सकते थें, इस स्तर पर रिपोर्ट पर आपत्ति नहीं कर सकते, प्रार्थी ने निगरानी को अपील के निर्णय के 4 साल बाद पेश की है जो देरी से पेश की है। देरी का दिनांकवार कारण अंकित नही किया है। अतः निगरानी खारीज की जावें। अधिवक्ता अप्रार्थी अपने समर्थन में RBJ (20) 2019 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

हमनें बहस पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया है जारी नोटिस प्रार्थी स्वयं को तामील हुआ है। स्थल निरीक्षण कर मौका नक्शा रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई है। विवादित पटटे की वैधता की जांच के संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट जिसके अनुसार विवादित पटटे पर सुलतानराम के हस्ताक्षर फर्जी पायें गयें है। पटटे से संबंधित ग्राम पंचायत रतनपुरा में उपलब्ध रिकार्ड के बारें में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत की रिपोर्ट क्र.स. 16 दिनांक 14.10.2013 समाहित एवं विवेचन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय दिनांक 18.11.2015 पारित किया गया है। प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति पंचायत समिति नोहर द्वारा कोई कानूनी भूल करना दृष्टिगोचर नही होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते है।

अतः निगरानी प्रार्थी, स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/9/2021

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

(भागीरथ शाक्य आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ)